



भारत मे उच्च शिक्षा के विकास में सरकार की भूमिका एवं उच्च शिक्षा की समस्याएँ

नीति चौहान\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, सी०पी०ई० कालेज मेरठ।

सार संक्षेप

इस शोध पत्र में भारत में उच्च शिक्षा के विकास में सरकार की भूमिका एवं आधुनिक समय में उच्च शिक्षा में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। वैदिक काल, मध्य काल, ब्रिटिश काल व आजादी के बाद भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण है। प्राचीन समय से अब तक उच्च शिक्षा के विकास में सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके कारण भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं में से है। आज भारत में लगभग 20 केन्द्रीय विश्वविधालय हैं। 215 सञ्च विश्वविधालय, 100 विश्वविधालय माने वाली संस्थाएं हैं। लगभग 16000 कालेज हैं जिनमें 1800 लड़कियों के कालेज हैं जो इन संस्थाओं के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

आधुनिक समय में हमारे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था में कुछ समस्याएँ दृष्टि गोचर होती हैं जैसे -एक विचित्र सी उददेश्यहीनता की स्थिति, स्वायत्ता की समस्या आदि जिन पर प्रकाश डाला गया है।

और आशा की गयी है कि इन समस्याओं के सम्भावित समाधान ढूँढ़ने के प्रयास किये जाये ताकि ज्ञान की सबसे ऊँची कड़ी विश्वविद्यालयी शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके।

## प्रस्तावना

विश्वविधालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोच्च केन्द्र है जिसमें छात्रों को शिक्षा के उच्च उद्देश्यों आदर्शों का ज्ञान कराया जाता है।

न्दपअमतेपञ्जल अब्द लैटिन भाषा के यूनिवर्सिटीज से लिया गया है जिसका अर्थ है - “ किसी संस्था , समुदाय या कार्पोरेशन का समग्र रूप । ”

कोठारी आयोग के अनुसार -“विश्वविधालय वह स्थान है जहाँ पर सब अपने अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते हैं” और अपनी शिक्षिक उन्नति द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। प्राचीन समय से अब तक उच्च शिक्षा के विकास में सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके कारण आज भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। 2009 के ऑकड़ो के अनुसार भारत में 20 केन्द्रीय विश्वविधालय , 215 राज्य विश्वविधालय 100 विश्वविधालय मानी वाली संस्थाएं ( कममउमक नदपअमतेपजल) हैं। लगभग 16000 कालेज जिनमें लगभग 1800 लड़कियों के कालेज (वृउमदशे ववससमहमे )हैं। जो इन विश्वविधालयों व संस्थाओं के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

भारत की कुछ संस्थाएँ जैसे प्दकपंद पदेजपजनजम वि जमबीदवसवहल ; घण्टे छ्हए प्दकपंद पदेजपजनजम वि उंदंहमउमदज ए ठपतसं पदेजपजनजम वि जमबीदवसवहल दक्षेवपमदबम चपसंदं त्रिसं प्दकपं पदेजपजनजम वि उमकपबंसेवपमदबम आदि अपने ऊंचे शिक्षा स्तर के काण विश्व में ख्याति प्राप्त है जहाँ अधिक संख्या में विदेशी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते है। प्राचीन समय से ही भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

## भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा का विकास

भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा वैदिक काल से ही प्रसिद्ध रही है। विभिन्न समय में शिक्षा का विकास हआ है जो निम्न है-

## 1- वैदिक काल में

वैदिक शिक्षा भारत की सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था है। उससमय में शिक्षा गुरु के द्वारा ही दी जाती थी और उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों व वैश्यों को दी जाती थी। धूंग्रो को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ब्राह्मण धर्म, दर्शन, वेद, पुराण, भूर्गभृशास्त्र, भौतिकशास्त्र व तर्कास्त्र आदि विन्यों की शिक्षा प्राप्त करते थे। क्षत्रिय विशेषतः युद्ध व राजनीति में निपुणता के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे और वैश्य व्यापार करने के उददेश्यों से व्यापारिक शिक्षा में निपुणता प्राप्त करते थे इसी समय में मनुस्मृति व अर्थशास्त्र जैसी पुस्तकों की रचना हुई है। बौद्ध युग में नालन्दा व तक्षशिला शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। यहाँ पर भारी संख्या में विदेशी छात्र भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे।

## 2- मध्य काल में

मध्य काल में उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मध्य युग में शिक्षा में कला, संगीत, न्याय, भूमि व्यवस्था, शिल्पकारी, कृषि, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल व लालकिला, जामा मस्जिद आदि इसी युग की देन है।

## 3- ब्रिटीश काल में

ब्रिटिश काल में अन्त तक हमारी प्राचीन शिक्षण पद्धति का पूर्णतः हास हो चुका था। ब्रिटिश काल में भारत में सर्वप्रथम गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1782 में कलकता मदरसे की स्थापना की। जहाँ अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद 1992 ई० में बनारस के रेंजीडेन्ट डंकल ने बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना की। इन कालेजों की स्थापना का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया और कहा कि इन कालेजों में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए।

विलियम बेटिंग (1835) के काल में मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूचनापात्र किया। 1835 में लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया तथा 1857 में कलकता, बम्बई व मद्रास में विश्वविधालय स्थापित किये गये जो देश के सबसे पुराने विश्वविधालय हैं। सन् 1898 में लन्दन विश्वविधालय के पुनर्गठन के बाद भारतीय कालेजों में सुधार करने के लिए 27 जनवरी 1902 को लार्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविधालय आयोग का गठन किया जिसके द्वारा विश्वविधालय के क्षेत्र कार्यक्षेत्र एवं उनकी क्षेत्रीय सीमाओं आदि का निर्धारण किया गया।

14 सितम्बर 1917 में सर माइकेल सैडलर की अध्यक्षता में कोलकता विश्वविधालय आयोग का गठन हुआ। माइकेल लीडस विश्वविधालय के उपकूलपति थे। आयोग का उददेश्य कोलकता विश्वविधालय की वैक्षिक परिस्थितियों की जाँच करना था, पर उसे अन्य विश्वविधालयों की जाँच कर सकने का अधिकार था। इसे सैडलर कमीशन (‘कक्षसमत बवउउपेपवद) भी कहा जाता था।

सन् 1924 में शिमला में उपकुलपतियों की कॉफेस में लिए गए निर्णय के आधार पर अर्न्तविश्व विधालय बोर्ड ;प्लजमत नदपअमतेपजल इवंतकद्ध की स्थापना की। आज देश के लगभग सभी विश्वविधालय और 5 तकनीकी संस्थान इसके सदस्य हैं। अब इसे भारतीय विश्वविधालय संघ के नाम से पुकारा जाता है। यह बोर्ड केन्द्रीय व राज्य विश्वविधालयों को मान्यता प्रदान करता है। विश्वविधालयों के कुलपतियों के पारस्परिक विचार विमर्श से शिक्षा के बारे में सूझाव व निर्णय जाते हैं। बोर्ड के सभी सदस्य इन निर्णयों का पालन करते हैं। साथ ही यह सभी विश्वविधालयों में सहयोग व समन्वय स्थापित करता है। व उनकी सभी समस्याओं के समाधान के संबंध में निर्णय लेता है।

सन् 1929 में हार्टोग कमेटी का गठन किया जो देश के सभी विश्वविधालयों की शिक्षा की समीक्षा करती थी। इस कमेटी ने सर्वप्रथम शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन की स्वरूप को परिभासित किया। सन् 1944 में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा

सलाहकार सर जॉनसार्जेन्ट ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की और इसमें शिक्षा के विभिन्न अंगों - प्राथमिक शिक्षा , हाईस्कूल , विश्वविधालयों , तकनीकी, व्यवसायिक , वयस्क, शिक्षा एवं अध्यापक प्रशिक्षण आदि पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये ।

भारत सरकार ने सार्जेट रिपोर्ट के आधार पर 1945 में विश्वविधालय अनुदान समिति का गठन किया पहले यह समिति केवल विश्वविधालयों को अनुदान देने के लिए केन्द्रीय सरकार की सलाहकार के रूप में गठित की गयी थी लेकिन 1956 से संसद के एक द्वारा विश्वविधालय अनुदान आयोग यू0जी0सी0 की स्वतन्त्र रूप से स्थापना हो गयी तभी से यह समिति उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। इसका एक अध्यक्ष , एक उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें 3 विश्वविधालय के कूलपति, 2 केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि और 5 उच्च कोटि के शिक्षा ग्राम्पी ( चिकित्सा, बनविभाग, उद्योग, कृषि, इन्जीनियर ) हैं। यह आयोग विश्वविधालयों की आर्थिक स्थिति की जांच करता तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा धन की व्यवस्था करता है। और नवीन विश्वविधालय की स्थापना हेतु सिफारिश करता है। तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की सहायता करता है।

### आजादी के बाद से

1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद डॉ राधाकृ-पन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविधालय शिक्षा आयोग ( डा0 राधाकृ-पन आयोग ) का गठन किया। 1961 में रा-ट्रीयौक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिनद की एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में स्थापना की। इस संस्था का प्रधान शिक्षा मन्त्री होता है। विश्वविधालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, विश्वविधालयों के 04 उपकुलपति तथा सरकार द्वारा नामजद 12 व्यक्ति मिलकर परिनद का निर्माण करते हैं। परिनद के समस्त वित व धन का भार केन्द्रीय सरकार वहन करती है। यह संस्था देश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करके उसमें सुधार करने के लिए सुझाव देती है। अनुसंधान व प्रशिक्षण संबंधी शिक्षा के विनय में सुझाव देती है।

सन् 1964 में विश्वविधालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस समिति में 17 सदस्य थे जिसमें 10 भारतीय शिक्षा ग्राम्पी व 6 विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ थे। इस समिति का कार्य भारत सरकार को भारतीय शिक्षा के सब स्तरों के पूर्ण विकास के लिए परामर्श देना था। इस समिति ने उच्च शिक्षा के लगभग सभी अंगों जैसे विश्वविधालयों के लक्ष्य, विकास, सुधार, मूल्यांकन, शिक्षा के स्तर, प्रवेश प्रणाली, कृषि शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, अनुसंधान, अध्यापक, शिक्षा , प्रौढ शिक्षा आदि पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये । सन् 1986 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने दिल्ली में इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविधालय की स्थापना की। इसकी स्थापना निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गयी ।

- 1- औपचारिक शिक्षा के बन्धनों (जैसे आयु ) से मुक्त उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना ।
- 2- उच्च शिक्षा को छात्रों तक पहुँचाकर इसका लोकतंत्रीकरण करना ।
- 3- देश में दूर शिक्षा की व्यवस्था व विकास करना ।
- 4- व्यवसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना ।

कई उच्च शिक्षा संस्थाओं में इसके अध्ययन केन्द्र बनाये गये हैं और उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्राध्यापकों को ही इनमें पार्ट टाइम बुलाया जाता है। आज यह संस्था बड़े स्तर पर कार्यरत है। और बड़ी संख्या में छात्र इस संस्था के अध्ययन केन्द्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

### ब्रिटीश काल से अब तक भारत में उच्च शिक्षा का विकास

क्रम संख्या	सन्	स्थापना	संस्थापक
1	1782	कलकत्ता मदरसा	वरेन हेस्टिंगंज
2	1792	बनारस संस्कृत कालेज	बनारस के रंजीडेन्ट डंकन
3	1855	लोक शिक्षा विभाग	-
4	1857	कलकत्ता , बम्बई , मद्रास विश्वविद्यालय	-
5	1902	भारतीय विश्वविद्यालय आयोग	लार्ड कर्जन
6	1917	कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग	सर माइकल सैडलर
7	1924	अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड	-
8	1929	हार्टोग कमेटी	-
9	1944	सार्जेंट कमीशन	सर तान सार्जेंट
10	1945	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-
11	1948	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग	डॉ राधाकृष्णन
12	1961	ग-ट्रीयौक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिनाम	भारत सरकार
13	1964	भारतीय शिक्षा आयोग	डॉ दौलत सिंह कोठारी
14	1986	इन्दिरा गॉधी मुक्त विश्वविद्यालय	राजीव गॉधी

### भारत में उच्च शिक्षा में समस्याएँ

शिक्षा किसी रा-ट्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा रा-ट्र की आत्मा है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वोच्च केन्द्र है। कहा गया है कि नदपअमतेपजल पे जीम बवदेबपवने वी जीम दंजपवद उच्च शिक्षा के द्वारा छात्रों को शिक्षा के उच्च उददेश्यों , आर्दशों आदि का ज्ञान कराया जाता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा ज्ञान की सबसे ऊँची कड़ी है। जहों छात्र को सम्बन्धित विन्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास हो। आधुनिक समय में उच्च शिक्षा में कुछ समस्याएँ दृष्टिगोचर होती है जिनका समाधान हमारे शिक्षाविदो द्वारा होना चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा में प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं।

#### 1- उददेश्य विहीनता - ; प्रउसमेदमे छ

हमारी उच्च शिक्षा में एक विचित्र उददेश्यहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। यह छात्रों को रोजगार पूर्ण जीवन से दूर ले जा रही है। आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षा देने वाले शिक्षक भी उच्च शिक्षा के यथार्थ उददेश्यों से अवगत नहीं।

## **2- प्रवेश की समस्या -; चतुर्विसमउ वर्किंगउपेपवद छ**

विश्वविधालयों तथा कालेजों में कहीं पर प्रवेश संबंधी नियम अत्यधिक कठोर है जिससे कभी कभी निर्धन व प्रतिभा के धनी छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं और कहीं पर प्रवेश संबंधी नियम है ही नहीं या छात्रों के लिए नियम केवल दिखावे के हैं जिसके कारण ऐसे छात्रों को भी उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल जाता है जो वास्तव में उच्च शिक्षा के लायक ही नहीं है।

## **3- निजीकरण की समस्या-; चतुर्विसमउ वर्किंगउपांजप्रांजपवदछ**

आज निजीकरण की धारणा के पीछे जो भावना है वह है - कुछ सम्पन्न तथा मुनाफाखोर व्यक्तियों का शिक्षा के क्षेत्र में धनोपार्जन करना। निजीकरण के कारण ऐसे धनी व्यक्तियों के लिए शिक्षा आज केवल एक व्यवसाय बनकर रह गयी है। पहले धनी व्यक्तियों के द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना धर्मार्थ कार्य समझ कर की जाती थी और उसके पीछे विधादान, समाज कल्याण की भावना होती थी। आज निजीकरण से जहाँ एक ओर शिक्षा का प्रसार हो रहा है वही दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल छात्र उच्च शिक्षा के लिए अयोग्य होने के बावजूद अधिक धन खर्च करके सम्बन्धित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

## **4- उच्च स्तर का अभाव - ; स्बा वर्किंगहींजेदकंतक छ**

आज हमारी शिक्षा के उददेश्य कुछ देशों की शिक्षा के उददेश्यों की अपेक्षा बहुत नीचे है। इसी कारण हमारी उच्च शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। उच्च शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में रा-ट्र के शिक्षा ग्रस्त्रियों ने चिन्ता व्यक्त की है आज शिक्षा में विन्यों की तो भरमार है परन्तु योग्यता ढंग से एक भी विन्य में नहीं आ पाती। इसके अतिरिक्त प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा ठीक से प्राप्त न करने वाले छात्रों अर्थात् प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा करने वाले छात्रों के कारण भी उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। अनुदान आयोग ने इस संबंध में कहा है कि औसत छात्र का शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश छात्र सामान्य स्तर के हैं। कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा का अध्ययन करके यह नि-कर्न निकाला कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था न तो गुणात्मक दृष्टि से उपयुक्त है और न परिणात्मक दृष्टि से उपयुक्त है। यह शिक्षा भारतीय आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करती।

अतः उच्च शिक्षा की व्यवस्था रा-ट्र की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।

## **5-स्वायत्तता की समस्या -; चतुर्विसमउ वर्किंगउपदवउल छ**

स्वायत्तता का अर्थ है कार्य करने की स्वतन्त्रता या स्वशासन का अधिकार। विश्वविधालय स्वायत्ता से तात्पर्य उसके सभी आन्तरिक कार्यों हेतु स्वशासन का अधिकार प्रदान करने से है।

स्वायत्तता का प्रादुर्भाव इस्लैण्ड के विश्वविधालय में सर्वप्रथम हुआ। यहों प्रत्येक विश्वविधालय को आन्तरिक मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। प्रत्येक विश्वविधालय अपने शिक्षण कार्य, अनुसंधान तथा समाज सेवा आदि करने में पूर्ण स्वतन्त्र होता है। वह किसी वाह्य ग्रन्ति या राजनीतिक दबावह के अधीन कार्य नहीं करते। कोठारी आयोग ने विश्वविधालयों की स्वायत्तता को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि स्वीकार करना नितान्त आवश्यक है कि विश्वविधालय स्वायत्तता के अभाव में अपने शिक्षण अनुसंधान, समाजसेवा आदि के मुख्य कार्यों को प्रभावित ढंग से नहीं कर सकते।

सन् 1973-74 में सरकार ने विश्वविधालयों से उनकी स्वायत्ता हडप ली। कुलपति व अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाने लगी। अध्यापकों की नियुक्ति पहले विश्वविधालय स्तर पर होती थी। एक माह पूर्व यह बताया गया कि पद खाली और एक माह के बाद ही उस पद पर नियुक्त हो जाती थी, बाद में सब सरकार के द्वारा होने लगा तब विभागों में अध्यापकों की इतनी कमी है कि एक विभाग में एक या दो कुलपति को नियुक्त करेगे उसकी शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत होगी यह बताने की जरूरत नहीं।

कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यह तंत्र स्वयं कुछ कर ही नहीं पा रहा है, देश की आत्मा कही जाने वाली उच्च शिक्षा कुछ नेताओं की कठपुतली बन गई है जो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी जाती है उससे संबंधित अधिकार भी उसके पास होने चाहिए, उसे सम्बन्धित कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए और बहुत से कारणों से देश में उच्च शिक्षा का स्तर निम्न हुआ है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में सभी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए कालेज या विश्वविधालय आते ही नहीं लगभग 50 प्रतिशत छात्र ही विधालय जाते हैं। कप्ज के शिक्षक को कप्ज में रहने की सजा दी जाती है यदि कप्ज के शिक्षक सजा याफती होगे तो वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे टप्पण्ड के छात्रों का क्या हाल होगा, जो भवि-य में आगामी शिक्षा की नींव रखने वाले हैं।

### **निष्कर्ष**

जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे शिक्षाविदों ने देश की शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत सी आशाएं पाली थी। भवि-य में शिक्षा के सुधार के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई थीं। देश में उच्च शिक्षा का विकास इतना ही चुका है कि देश में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित बहुत सी संस्थाएं जैसे प्दकपंद पदेजपजनजम वर्ग जमबीदवसवहल ; प्पजे छ्वए प्दकपंद पदेजपजनजम वर्ग उंदहमउमदजए आदि अपने ॐचे शिक्षा स्तर के कारण विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सभी विश्वविधालयों व कॉलेजों का शिक्षा स्तर समान नहीं है। उच्च शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सी संस्थाएं कार्यरत हैं जो अपने स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अपने स्तर पर क्रियाशील हैं। परन्तु केवल उनके प्रयासों से देश में उच्च शिक्षा का स्तर उच्च नहीं हो सकता। इसके लिए उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति, संस्था जैसे - शिक्षक, अधिकारी, सरकार, छात्र हमारे शिक्षाविद् सभी को अपने कार्य के प्रति ईमानदार, मेहनती, व कर्तव्यनिष्ठ होना होगा और मिलकर उच्च शिक्षा की सभी समस्याओं का समाधान ढूँढना होगा।

### **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

- 1- टैम्परेट्यूमेंट्स, 2003 छ्वए प्दवितउंजपवद दमजूवता पद प्दकपंद छमू कमसीपए ३८ चन्द्रसपबंजपवदप
- 2 - टमतउंए ल्हैण - कमअमसवचउमदज वर्ग म्कनबंजपवद पद प्दकपंद
- 3 - पचौरी , गिरीश शिक्षा-सिद्धान्त।